



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062020-220198
CG-DL-E-26062020-220198

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315]
No. 315]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 26, 2020/आषाढ 5, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 26, 2020/ASADHA 5, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 415(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 115खकग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर(तेरहवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(क) नियम 2खख में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कर्मचारी, जो एक निर्धारिती है, जिसने धारा 115खकग की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपनियम (1) के उपखंड (क) से (ग) में और उपनियम (2) के नीचे सारणी के क्रम संख्यांक 11 पर उस विस्तार तक और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए उल्लिखित भत्तों की बाबत ही छूट का हकदार होगा।";

(ख) नियम 3 के उपनियम (7) के खंड (iii) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"परंतु यह और कि संदत्त वाउचर के माध्यम से ऐसे नियोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए निशुल्क भोजन और गैर मद्यसारिक सुपेय के संबंध में पहले परंतुक में उपबंधित छूट किसी ऐसे कर्मचारी, जो निर्धारिती है, जिसने धारा 115खकग की उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, को लागू नहीं होगी।"

[अधिसूचना सं. 38 /2020, फा. सं. 370142/15/2020-टीपीएल]

गुट्टन नेहार, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ.सं. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उनमें अधिसूचना सं. सा.का.नि 338 (अ) तारीख 29 मई, 2020 द्वारा संशोधन किए गए थे।